

22/12/20

MD दि. 23-12-20

संख्या-2264 /III(2)/20-24(एम.एल.ए.)2017

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2779
C.E.P. / प्र. 1000

1523 SSO-II (P)

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

28/12
प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग

मुख्य अभियन्ता (नियोजन),
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

CAO-II

23/12/20
धन सिंह कुटिया
वरिष्ठ सहायक अभियन्ता

लोक निर्माण अनुभाग-2

वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र- ऋषिकेश में विभिन्न 2 निर्माण कार्यों के प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

देहरादून : दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा संलग्न विवरणानुसार विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 3.20 किमी. एवं लागत ₹ 8.00 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹2.15 लाख (रूपये दो लाख पन्द्रह हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात् 02 कार्यों हेतु ₹ 0.20 लाख (रूपये बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190(PWD)01टी.सी.II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गईं हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रेक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-54 भूमि क्रय में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।


(ix) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x) वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2021 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(2) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 653/XXVII(2)/2020 दिनांक 15 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

 भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।



संख्या- (1)/III(2)/20-24(एम.एल.ए.)2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, नवम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश (देहरादून)।
11. गार्ड फाईल।

कार्यालय

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

प्रसं.सं. 1146/20-24(एम.एल.ए.)20


दि. 20.12.20

(श्याम सिंह)

संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून।
2. अधी.अभि. 9 का वृत्त, लो.नि.वि., देहरादून।
3. अधी.अभि. 30 का वृत्त, लो.नि.वि., ऋषिकेश।
4. अधी.अभि. (गार्ड फाईल) के लिए कार्यालय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष।
5. कारी.अभि. (प्रा.)/सजद का कार्यालय मुख्य अभि. एवं विभागाध्यक्ष।



(श्याम सिंह रावत)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

शासनादेश संख्या-2264 /III(2)/20-24(एम.एल.ए.)/2017 दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्र.सं | कार्य का नाम | लम्बाई (किमी० में) | शासन द्वारा अनुमोदित लागत | चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि। |
|------------|---|-----------------------|------------------------------|--|
| 1 | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में ग्राम पंचायत चक जोगीवाला में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 से मशरूम फैक्ट्री होते हुए सोवन सिंह रावत के घर तक मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)। | 1.80 | 1.21 | 0.10 |
| 2 | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में ग्राम पंचायत छिद्दरवाला के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 से वन विभाग डिपो होते हुए छिद्दरवाला के ग्राम तक मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण)। | 1.40 | 0.94 | 0.10 |
| कुल योग :- | | 3.20 | 2.15 | 0.20 |

(कुल ₹ बीस हजार मात्र)


(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2020 - 2021)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -2264/III(2)/20-24(MLA)2017
अनुदान संख्या-022

आवंटन आई डी-S20120220018
आवंटन पत्र दिनांक-21-DEC-2020

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
परिव्यय
337-सड़क निर्माण कार्य
02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
800-03-02से स्थानान्तरित)

04-District and other Roads

03-राज्य सेक्टर

Voted

| मानक मद का नाम | पूर्व में जारी | वर्तमान में जारी | अब तक का व्यय | योग |
|-----------------|----------------|------------------|---------------|---------|
| 53-वृहद निर्माण | 2220000 | 20000 | 0 | 2240000 |
| योग | 2220000 | 20000 | 0 | 2240000 |

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER